

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनैन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संख्या:..... बी० एस० एम० एफ० सी०, /

पटना

दिनांक:

स्वीकृत्यादेश

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष **2016-17** के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के ज्ञाप संख्या **3060** दिनांक 08.12.2016 के आलोक में राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक-18.07.2017, को प्रक्षेत्रवार चयनित आवेदकों में से निम्नांकित आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रभारी **सिवान** द्वारा त्रुटिहीन कागजीकरण/दस्तावेज निस्पादित कराकर उनके द्वारा स्थल जाँच कर समर्पित किये गए। स्थल जाँच में ऋण राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर कुल **01** लाभुक को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण वार्षिक ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 1531 दिनांक-18.05.2016 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतये के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुकों के बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने का आदेश दिया जाता है :-

Sl. No	चयन सूची क्र०	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Embossing Processing Charge 2030/-	Net Payable Amount
1.		MOHAMMAD IZHAR, S/o- ABDUL GHAFAR, Vill.- MAHUARI, Block- PACHRUKHI, PS-SIWAN, PO- MAHUARI, Distt.-SIWAN- 841227, Mob. 8826768656	A/c No.:- 50210027122871 BDBL0001202	GATE- GRILL	300000	1500	2030	296470
TOTAL					300000	1500	2030	296470

स्वीकृत ऋण राशि से वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

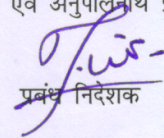
उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

ह0/-

ज्ञापांक:-.....**2871**.....

प्रबंध निदेशक
दिनांक :- **25-8-2022**

प्रतिलिपि: जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सिवान/सभी ऋणधारकों/ऋण शाखा/ऋण शाखा(कम्प्युटर सेल)/लेखा शाखा/ प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी एवं आई0 टी0 मैनेजर को सम्बन्धित बैंक को ई-मेल हेतु सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


प्रबंध निदेशक